# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

## बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

**प्रार्थीगण** **पंचायत निगरानी सं. 52/2021**

श्रीमती संतोष कंवर पत्नि श्री छगनसिंह पुत्री श्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी वाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. सरपंच ग्राम पंचायत भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

## पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

**उपस्थिति :–**

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भारजा अप्रार्थी की ओर से।

**निर्णय** दिनांक 25.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के हक में जारी पट्टा संख्या 8037 दिनांक 19.12.2019 क्षेत्रफल 2275 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भारजा द्वारा उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रार्थी गलती से पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर पुनः पट्टा जारी कर दिया है, जो निरस्त योग्य है। यह है कि प्रार्थिया के दादा श्री पन्नेसिंह के दो पुत्र प्रार्थिया के पिता श्री किशोरसिंह एवं श्री उम्मेदसिंह थे, जिनका देहावसान हो चुका है एवं प्रार्थिया के पिता श्री किशोरसिंह का भी वर्ष 1998 में देहावसान हो चुका है जिनके जायदा संतान में प्रार्थिया स्वंय एवं प्रार्थिया की बहन एवं प्रार्थिया की माता श्रीमती दरियाकुंवर [illegible] है कि [illegible] अपने बहन एवं माता एवं अन्य परिवारजनों से उक्त मकान के पट्टे के सं[illegible] ज[illegible]कारी चाही तो सभी ने यह कहा कि उक्त मकान पुश्तैनी मका[illegible] जिसका कभी [illegible]ई पट्टा जारी नहीं हुआ है तब प्रार्थिया ने ग्राम पंचायत भारजा में उक्त सम्पत्ति [illegible] हेतु आवे[illegible] जिस पर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर प्रार्थिया के [illegible] पट्टा संख्या 8037 दिनांक 19.12.2019 को जारी कर [illegible]या। यह है कि कुछ समय पूर्व प्रार्थिया की बहन एवं माता ने इस संबंध में आपत्ति जाहिर की एवं पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उक्त सम्पत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा द्वारा दिनांक 23.04.1969 को

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:31:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मिसल संधारण कर उसकी पालना में पट्टा संख्या 11 दिनांक 13.08.1969 को श्री उम्मेदसिंह एवं श्री किशोरसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह के नाम से जारी किया गया था, जिसकी जानकारी प्रार्थिया को उसी दिन हुई। यह है कि इस संबंध में प्रार्थिया ने ग्राम पंचायत में जाकर उक्त पट्टे को निरस्त कराने के लिए निवेदन किया लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें यह अवगत करवाया गया कि उक्त पट्टा जारी हुए लगभग दो साल का समय हो चुका है अतः उक्त पट्टा सक्षम न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। यह है कि वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थिया व अन्य वारिसान की संयुक्त सम्पत्ति है जिसका किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं है एवं उक्त पट्टे के अस्तित्व में रहने से अन्य वारिसान आपत्ति जाहिर कर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया का उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर पट्टा संख्या 8037 दिनांक 19.12.2019 को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी ग्राम पंचायत भारजा की ओर से सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भारजा की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया द्वारा पट्टा जारी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया था, जिसकी मिसल का संधारण भी ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। यह है कि अब प्रार्थिया द्वारा ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर पूर्व में पट्टा जारी होना बताया लेकिन उक्त पट्टा सक्षम न्यायालय द्वारा ही निरस्त हो सकता है। यह है कि उक्त पट्टे को निरस्त होने से ग्राम पंचायत भारजा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर पट्टा संख्या 8037 दिनांक 19.12.2019 को निरस्त किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं उनके अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, भारजा द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या 22 दिनांक 06.12.2019 से 200/– रूपये की राशि वसूल कर पट्टा जारी किए गए है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के अनुसार–

**157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण–** जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:31:03 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पचायत भारजा द्वारा उक्त विवादित भूमि का पट्टा संख्या 8037 दिनांक 19.12.2019 को जारी किया गया था जबकि इसी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भारजा द्वारा दिनांक 23.04.1969 को मिसल संधारण कर उसकी पालना में पट्टा संख्या 11 दिनांक 13.08.1969 को श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह व श्री किशोरसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह के नाम से जारी किया था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थिया स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि का

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पट्टा ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रार्थिया द्वारा किए गए आवेदन पर भूलवश जारी हो गया है, जिससे उक्त विवादित भूमि के अन्य वारिसान के सुखाधिकारों पर प्रभाव पडता है। यह है कि उक्त विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा पूर्व में पट्टा संख्या 11 दिनांक 13.08.1969 को श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह एवं श्री किशोरसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह के नाम जारी होने की जानकारी होने से प्रार्थिया द्वारा यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत भारजा द्वारा बाद में जारी प्रार्थिया के स्वयं के नाम से जारी पट्टा संख्या 8037 दिनांक 19.12.2019 को निरस्त कराने के लिए पेश किया है, जिस पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त यह अंकित किया गया है कि उक्त पट्टे का निरस्त किए जाने पर ग्राम पंचायत भारजा को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा दिनांक 23.04.1969 को मिसल संधारण कर उसकी पालना में पट्टा संख्या 11 दिनांक 13.08.1969 को श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह एवं श्री किशोरसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह के नाम से जारी किया और बाद में इसी भूमि का पट्टा प्रार्थिया के नाम से पट्टा संख्या 8037 दिनांक 19.12.2019 को जारी किया। चूंकि एक ही भूमि/भूखण्ड के दो पट्टे जारी नहीं हो सकते है। अतः ऐसी स्थिति में पूर्व में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 13.08.1969 को आबाद रखते हुए बाद में जारी पट्टा संख्या 8037 दिनांक 19.12.2019 को निरस्त करना न्यायसंगत होगा। यह है कि प्रार्थिया स्वयं भी अपने पट्टे का निरस्त करवाना चाहती है एवं इस पर ग्राम पंचायत भारजा को भी कोई आपत्ति नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रार्थिया के हक में जारी पट्टा संख्या 8037 दिनांक 19.12.2019 क्षेत्रफल 2275 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:31:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner